UPBN040171162026

न्यायालयः अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०, कक्ष सं०–03, बदायूँ
प्रकीर्ण वाद सं० 376/2026

रतीराम बनाम रघुवीर आदि
धारा–173(4)बी०एन०एस०एस०
थाना– दातागंज, जिला– बदायूँ।

दिनांक 22.04.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– प्रार्थी रतीराम द्वारा धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० के अधीन प्रार्थना पत्र विपक्षीगण रघुवीर आदि के विरूद्ध समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3–प्रार्थी रतीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण रघुवीर आदि के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि,प्रार्थी नि०ग्राम सिसईया गुंसाई, थाना–दातागंज, जिला बदायूँ का है। दिनाँक 08.03.2026 को समय लगभग 10 वजे सुवह का था। प्रार्थी का बेटा ओमपाल घर के सामने रोड पर भैंस को नहला रहा था। पानी तेज बहने के कारण पड़ोसी रघुवीर पुत्र जोरावर के घर के सामने रोड पर पानी भर गया। रघुवीर की शिकायत पर प्रार्थी ने कहा कि हम रोड साफ करवा देगें किन्तु रघुवीर ने कोई बात नहीं सुनी और गाली–गलौच करने लगा। रघुवीर ने आवाज देकर अपने लड़के वृजेश तथा पुष्पेन्द्र व डम्पी पुत्र रामपाल व शिवम् व दीपक पुत्रगण चन्द्रपाल को मौके पर बुला लिया। इन लोगों के हाथों में छुरी, चाकू व लाठी डण्डे थे। प्रार्थी का लडका ओमपाल डर कर घर के अन्दर घुस गया पीछे से सभी मुल्जिमान घर के अन्दर घुस आये। इन मुल्जिमानों ने प्रार्थी के पुत्र ओमपाल को घर के अन्दर मारापीटा। घर में मौजूद प्रार्थी की पत्नी हरवेटी व पुत्री अनीता को रघुवीर पुत्र जोरावर तथा प्रदीप पुत्र चन्द्रपाल, रामभजन व बुद्धपाल ने कमरे के अन्दर खींचकर ले गये और दोनों ने अनीता के कपड़े फाड़ दिये और जबरदस्ती बुरा काम करने की कोशिश की। प्रार्थी की पत्नी की चीख पुकार से अनीता की इज्जत बच गई और तभी दोनों मुल्जिमान ने प्रार्थी की पत्नी को वहीं गिरा लिया और बारी–बारी से प्रार्थी की पत्नी के साथ बुरा काम किया। मारपीट से ओमपाल के सिर व पीठ व शरीर के अन्य हिस्सों में खुली व गुम चोटें आई हैं। प्रार्थी उसी दिन थाना रिपोर्ट को गया तो पुलिस ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही डाक्टरी मुआयना कराया तभी प्रार्थी ने श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ को स्वयं उपधित होकर व जरिए डाक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत दिये किन्तु पुलिस द्वारा अभी तक मुल्जिमान के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र के आधार पर मुल्जिमान उपरोक्त के विरूद्ध धारा–173 (4)बी०एन०एस०एस० के तहत रिपोर्ट लिखवाकर विवेचना किए जाने का आदेश करने की कृपा करें।

Digitally signed by SATYA CHAUDHARY
Date: 2026.04.22 16:33:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4–संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई गुमशुदगी या अभियोग पंजीकृत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में विवेचना उपरान्त ही तथ्य प्रकाश में आना परिलक्षित होता है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक **रतीराम** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 173(4)बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष दातागंज, बदायूँ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना प्रचलित करें तथा आदेश प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। लिपिक को आदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अविलम्ब निर्गत करे।

दिनांक–22.04.2026

(सत्या चौधरी)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०
कक्ष सं०–03, बदायूँ।